संख्या-24/2022/2064897/12-5099/17/2022

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 29 मार्च, 2022**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 04-कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबंध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजायन तैयार करने की योजना हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एस०/2537/2021-22/लेखा/पुनर्विनियोग, दिनांक 08.03.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 04-कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबंध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजायन तैयार करने की योजना हेतु मानक मद 01-वेतन में रूपये 0.79 लाख तथा 55-मकान किराया भत्ता में रूपये 0.67 लाख अर्थात् कुल रूपये 1.46 लाख (रूपया एक लाख छियालिस हजार मात्र) की धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग करायी जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर किया जायेगा।

5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य-योजना एवं गाइडलाइन्स/ सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

8- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 03-कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना के मानक मद 03-महंगाई भत्ता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 04-कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबंध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजायन तैयार करने की योजना हेतु मानक मद 01-वेतन तथा 55-मकान किराया भत्ता के नामे डाला जायेगा।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रपत्र-सीएसआर0-09 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: शासनादेश वित्त विभाग)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व नीचे दी गई अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाय)

वित्तीय वर्ष 2021-22

अनुदान संख्या व नाम-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

प्रपत्र सीएसआर0-09

(धनराशि लाख रु0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संशोधन				वित्त विभाग द्वारा किया जाना	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि	संशोधित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संशोधन हेतु अनुमोदित धनराशि	संशोधन के पश्चात कुल अनुदान / विनियोग (3+5)
1	2	3	4	5	6
2401 111 03 00 2401-बागवत कृषि वर्ग, 111-कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी 03-कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु योजनाएं					
03-महंगाई भत्ता	379.62	1.46	1.46	1.46	378.16
कुल योग	379.62	1.46	1.46	1.46	378.16

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संशोधन				वित्त विभाग द्वारा किया जाना	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	द्वितीय मद में प्रत्यावर्तित कुल व्यय	संशोधन हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संशोधन धनराशि	संशोधन के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2401 111 04 00 2401-पशुधन कृषि वर्ग, 111-कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी 04-कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा पशुधन व्यवस्था के सम्बन्ध में कम्प्यूटराइजेशन एवं अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करने की योजना					
01-वेतन	14.11	14.00	0.79	0.79	14.90
04-मकान किराया भत्ता	0.60	1.47	0.67	0.67	1.47
कुल योग	14.01	16.37	1.46	1.46	16.37

(रुपया एक लाख छियालिस हजार मात्र)

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि निम्नलिखित कारणों से है:-

अ- वास्तविक मांग के आधार पर वंचित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में वास्तविक आवश्यकता के कारण अनुदान की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर0एस0-585/1-दस-2022, दिनांक: 22-03-2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयाग,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

(फूल चन्द्र यादव)
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपिनियंत्रक की कार्यालय के लिये आदेश

संख्या-2064897/12-5099/17/2022. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (निरीक्षण/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जलदृश भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एस0-9 तीन प्रतियों में)।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।